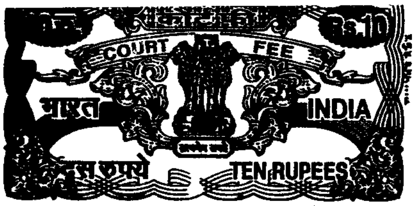

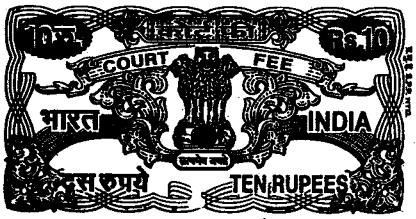

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
कैम्प भोपाल R 801-PBR-17

प्रकरण क्र. : ....

घीसीलाल आत्मज श्री रामप्रसाद,
वयस्क, निवासी व कृषक –
ग्राम खुरचनी, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल

.... **प्रार्थी**

विरूद्ध

डॉ. बंगाली बाबू सक्सेना, वयस्क
आत्मज श्री बी. आर. सक्सेना
निवासी – सी–8, नेहरू नगर,
भोपाल

.... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2011, जो प्रकरण क्र. 99/अ–12/10–11 में न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 801–पीबीआर/2017 [illegible] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.3.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2011 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी इस न्यायालय में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–11 के विरूद्ध लगभग 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में बताया गया विलम्ब का कारण अधिवक्ता बदलकर नवीन अधिवक्ता नियुक्त करना बतलाया गया है जो समाधानकारक कारण मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । [illegible] **अध्यक्ष**	
[illegible]		